परियोजना डेटा शीट का यह हिन्दी अनुवाद इसके अंग्रेजी संस्करण दिनांक 25 अप्रैल 2016 पर आधारित है।

ASIAN DEVELOPMENT BANK

एशियाई विकास बैंक

भारत : उत्तर प्रदेश प्रमुख जिला मार्ग सुधार परियोजना

परियोजना का नाम	उत्तर प्रदेश प्रमुख जिला मार्ग सुधार परियोजना
परियोजना की संख्या	43574-025
देश	भारत
परियोजना की स्थिति	अनुमोदित
परियोजना प्रकार/ सहायता की विधि	ऋण
निधीयन का स्रोत/राशि	**ऋण 3386–भारत : उत्तर प्रदेश प्रमुख जिला मार्ग सुधार परियोजना** साधारण पूंजी संसाधन — यूएस डॉलर 300.00 मिलियन
रणनीतिक कार्यसूची	पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी विकास समावेशी आर्थिक विकास
परिवर्तन के प्रेरक	निजी क्षेत्र विकास
सेक्टर/उप–सेक्टर	**परिवहन** - सड़क परिवहन (गैर–शहरी)
लैंगिक समानता और मुख्यधारीकरण	कुछ लैंगिक तत्व
विवरण	इस परियोजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश हेतु रणनीतिक आधारभूत मार्ग कार्यक्रम मास्टर योजना के अनुरूप उत्तर प्रदेश राज्य में प्रमुख जिला मार्ग (एमडीआर) के लगभग 430 किलोमीटर का सुधार किया जाएगा। इसमें यातायात आवश्यकताओं के अनुसार एमडीआर का उन्नयन; पुलियाओं और सेतुओं का पुनर्निर्माण, चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण; और निर्माण के उपरान्त 5 वर्षों के लिए सुधारी गई मार्ग परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण सम्मिलित होगा। परियोजना के अन्तर्गत आधारभूत मार्ग कार्यक्रम (सीआरएन) पर एमडीआर का एक मार्ग सुरक्षा लेखा–परीक्षण भी संचालित किया जाएगा तथा चिह्नित विवेचनात्मक अवस्थितियों पर उपचारात्मक उपाय भी आरंभ होंगे।
परियोजना तर्काधार और देश/क्षेत्रीय रणनीति के	भारत के भौगोलिक क्षेत्र का केवल 7% हिस्सा होते हुए भी अकेले उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जनसंख्या की जनसंख्या लगभग 200 मिलियन (या 16%) है, जिसके कारण यह देश का सबसे

साथ संबंध	अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यह भारत का सबसे अधिक गरीब राज्य भी है। यद्यपि उत्तर प्रदेश का देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 8.5% का योगदान है तब भी इसकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम है। उत्तर प्रदेश में देश की अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या भी निवास करती है। इसकी लगभग 80% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जहां कृषि मुख्य आर्थिक गतिविधि है और यह राज्य की आय में 46% का योगदान देती है। औद्योगिक विकास की अव्यवस्थित प्रकृति के चलते सुधार हेतु मार्ग कार्यक्रम एक जटिल आर्थिक अवसंरचना है। उत्तर प्रदेश का कुल मार्ग कार्यक्रम लगभग 300,000 कि.मी. है, और प्रति 100,000 लोगों का मार्ग घनत्व 142 कि.मी. के एक राष्ट्रीय औसत के समक्ष 104 कि.मी. है। इसके मार्ग कार्यक्रम के लगभग 40% हिस्से को घटिया से बहुत घटिया तक आंका गया, और केवल 13% हिस्से को अच्छा आंका गया। इसके मार्ग कार्यक्रम के लगभग 58% मार्ग की चौड़ाई 5.5 मीटर से कम है और मुश्किल से 5% मार्ग ही दो लेनों से अधिक चौड़े हैं। यदि समुचित मार्ग क्षमता माप–विद्याओं का प्रयोग किया जाता है तो केवल 35% राष्ट्रीय राजमार्ग और 60% राज्य राजमार्ग ही आरामदायक क्षमता के अनुसार उपयोगी हैं, जबकि शेष मार्गों का चौड़ीकरण के रूप में क्षमता संवर्द्धन किया जाना आवश्यक है।
प्रभाव	गतिशीलता और अभिगम्यता में सुधार हुआ है

परियोजना परिणाम

परिणाम का वर्णन	उत्तर प्रदेश राज्य में लोगों और वस्तुओं के लिए मार्ग परिवहन की कार्यकुशलता तथा सुरक्षा में सुधार हुआ है
परिणाम की दिशा में प्रगति	

कार्यान्वयन प्रगति

परियोजना आउटपुट्स का विवरण	एमडीआर, जिसे समस्त–ऋतुओं के मानकों और मार्ग सुरक्षा के लिए अभिकल्पित किया गया है, उसका पुनर्निर्माण किया गया तथा उसे पुनः स्थापित किया गया मार्ग अनुरक्षण तथा परिसम्पत्ति प्रबन्धन में सुधार हुआ है सीआरएन में एमडीआर की मार्ग सुरक्षा का लेखा–परीक्षण किया गया तथा सुरक्षा विशेषताएं संस्थापित की गईं
कार्यान्वयन प्रगति की स्थिति (आउटपुट्स, गतिविधियां तथा मुद्दे)	
भौगोलिक अवस्थिति	

संरक्षा संवर्ग

पर्यावरण	ख
अस्वैच्छिक पुनर्वास	क
स्वदेशी लोग	ग

पर्यावरण संबंधी तथा सामाजिक मुद्दों का सारांश

पर्यावरण पहलू	प्रतिदर्श उपपरियोजनाओं के अन्तर्गत जो कार्यों का क्षेत्र है उसमें विद्यमान प्रमुख जिला मार्गों का सुधार तथा अनुरक्षण सम्मिलित है। यहां समस्त उपपरियोजनाओं के लिए पर्याप्त कार्याधिकार उपलब्ध है तथा इसलिए अपेक्षा की जाती है कि कोई भी महत्वपूर्ण, दीर्घावधि, या अपरिवर्तनीय पर्यावरण–प्रभाव नहीं हों। कोई भी मार्ग पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के अन्दर नहीं पड़ता। इसलिए उपपरियोजनाओं को एडीबी की सुरक्षा नीति विवरण (2009, एसपीएस) के अनुरूप ख संवर्गित किया गया है। एक एकल आंशिक पर्यावरण परीक्षा (आईईई) प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसमें एडीबी एसपीएस (2009) के अनुरूप मार्ग–विशिष्ट पर्यावरण प्रबन्ध योजनाएं समाविष्ट हैं तथा जिनका प्रदर्शन एडीबी वेबसाइट पर किया जाएगा। उपपरियोजनाओं के अन्तर्गत पूर्वानुमानित पर्यावरणीय प्रभाव कठिन मार्ग निर्माण सम्बन्धित मुद्दों को अपरिहार्य बनाते हैं जैसे निर्माण एवं कर्मचारी शिविरों से धूल, ध्वनि, निकास, अपशिष्ट का उत्सर्जन, जल संदूषण, व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, कटाव, गादीकरण। इनको सम्बोधित करने के लिए ईएमपी में लघुकरण उपायों को सम्मिलित किया गया है। यूपीपीडब्ल्यूडी मार्गों के साथ मार्ग वृक्षों की हानि के लिए अनिवार्य 1:2 क्षतिपूरक पौधारोपण किया जाएगा। इसके अलावा पौधारोपण संवेदनशील अभिग्राहकों के समीपस्थ अवस्थितियों पर किया जाएगा जैसे विद्यालयों, चिकित्सालयों तथा आईईई में चिह्नित अन्य क्षेत्र, मार्ग सुधारों से पर्यावरणीय प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए सम्बन्धित भूमि स्वामियों और क्षेत्राधिकार जिला वन कार्यालयों की सहमति के साथ यूपीपीडब्ल्यूडी द्वारा अतिरिक्त पौधारोपण किया जाएगा। अतिरिक्त पौधारोपण की लागत नागरिक कार्य अनुबन्ध में सम्मिलित है। मार्ग–विशिष्ट ईएमपी बोलीदान प्रलेखों के भाग होंगे। परियोजना तैयारी चरण के दौरान महत्वपूर्ण परामर्शों का संचालन किया गया है और प्रभावित व्यक्तियों तथा पणधारियों की समस्त चिंताओं को आईईई एवं ईएमपी में सम्मिलित किया गया है। इन परामर्शों को प्रमुख पर्यावरणीय अभिकरणों, सड़क किनारे के समुदायों तथा गैर–सरकारी संगठनों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रभावित पक्षकारों से निरन्तर प्रत्युत्तर तथा शिकायतें, यदि कोई हों, प्राप्त करने और निर्माण चरण तथा प्रचालन चरण के दौरान उनका सम्बोधन करने हेतु एक एकीकृत सामाजिक एवं पर्यावरणीय शिकायत निवारण तन्त्र का गठन किया जाएगा।
अस्वैच्छिक पुनर्वास	परियोजना को एडीबी की सुरक्षा नीति विवरण (2009) के अनुसार क' के रूप में संवर्गित किया गया है। परियोजना द्वारा 976 गैर–स्वामित्व परिवारों के प्रभावित होने की संभावना है जिनकी कुल संख्या 7,103 लोगों की होगी। समस्त मार्ग गलियारों के लिए यूपीपीडब्ल्यूडी का मार्ग स्वामित्व अधिकार स्थानीय भूमि राजस्व अभिलेख विभाग के साथ सत्यापित किया गया है और परियोजना में निजी भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं है। पुनर्वास प्रभावों से बचने के लिए जितना संभव हो सका मार्ग अभिकल्पनाओं को संशोधित किया गया है। कुल मिलाकर प्रभाव, उत्तरवर्त्ती व्यावहारिकता पर प्रभाव डाले बिना, आवासीय तथा वाणिज्यिक संरचनाओं (अर्थात् बरामदा, सीढ़ियां एवं बॉलकोनियां) के बाह्य भागों तक सीमित होंगे। केवल 27 परिवार ही पूरी तरह विस्थापित होंगे, उनमें से अधिकांश अपनी वाणिज्यिक संरचनाओं से भी वंचित हो जाएंगे। सात (7) पुनर्वास योजनाएं (आरपी) तथा एक (1) नियत यथोचित प्रतिवेदन तैयार किया गया है। 11 प्रभावित व्यक्तियों को प्रतिस्थापन लागत पर क्षतिपूर्ति की जाएगी तथा उन्हें पुनःस्थापन, पुनर्निर्माण एवं आय बहाली सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अतिसंवेदनशील परिवारों के लिए विशेष उपाय किए गए हैं।
स्वदेशी लोग	परियोजना को एडीबी की सुरक्षा नीति विवरण के अनुरूप ग संवर्गित किया गया है। उत्तर प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या कम है, जो इसकी कुल जनसंख्या का केवल 1.1% को प्रस्तुत करती है। 12वें जनगणना सर्वेक्षण ने अभिपुष्टि की है कि इस परियोजना से पांच अनुसूचित जनजातीय परिवारों पर कम प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसमें उनका वास्तविक पुनर्वास सम्मिलित नहीं होगा।

स्टेकहोल्डर संचार, प्रतिभागिता और परामर्श

परियोजना डिजाइन के दौरान	परियोजना की तैयारी के दौरान नागरिक समाज का मार्ग अभिकल्पनाओं को सुधारने में सक्रिय परामर्श तथा भागीदारी रही। क्रियान्वयन के दौरान नागरिक समाज को निरंतर सूचना और परामर्श दिया जाएगा। समुदाय का एक प्रतिनिधि क्षेत्र स्तर पर शिकायत निवारण समिति का एक सदस्य होगा। उसकी किसी अन्य विशिष्ट भूमिका का उल्लेख नहीं किया गया है।
परियोजना कार्यान्वयन के दौरान	समस्त परियोजना मार्गों के समांतर महत्वपूर्ण परामर्श तथा सामाजिक सर्वेक्षणों का संचालन किया गया था, जिसमें स्त्रियों, कृषकों एवं व्यवसाय समुदाय के साथ 34 सार्वजनिक बैठकें, 58 केन्द्रित समूह चर्चाएं (एफजीडी), साथ ही साथ एक–एक करके हुआ साक्षात्कार सम्मिलित है। कुल मिलाकर 1665 मार्ग किनारे रहनेवाले लोगों ने ऊपर विवरणित परामर्शनों में प्रतिभागिता की और 900 से अधिक परिवारों का सर्वेक्षण किया गया। परामर्श के प्रमुख उद्देश्य थे–परियोजना के बारे में जागरूकता बढ़ाना, मार्ग किनारे रहनेवाले लोगों को शिकायत तन्त्र के बारे में बताना, समुदायों की आवश्यकताओं और चिंताओं का पता लगाना तथा परियोजना के लाभों को बढ़ाने एवं इसके नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए सुझाव प्राप्त करना। जितना सम्भव हो सके मार्ग के निवासियों के सुझावों को मार्ग की अभिकल्पना में एकीकृत किया गया था। उदाहरण के लिए निवासियों के अनुरोध पर ढकी हुई नालियों और बस शरण–स्थलों को मार्ग अभिकल्पनाओं में एकीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त परामर्श प्रक्रिया के परिणामस्वरूप अनेक धार्मिक संरचनाओं को भी बचाया गया था। यह देखते हुए कि परियोजना मार्ग सभी राज्यों में फैले हुए हैं, पुनर्वास योजनाओं (आरपी) का क्रियान्वयन करने तथा एचआईवी/एड्स जागरूकता, मानव तस्करी तथा मार्ग सुरक्षा पर सामुदायिक जागरूकता गतिविधियों का संचालन करने के लिए एक एनजीओ नियुक्त किया जाएगा। एनजीओ नियुक्त करने की प्रक्रिया पहले ही आरंभ हो चुकी है। परियोजना मार्ग क्रियान्वयन के लिए एक मानक सार्वजनिक परामर्श तथा प्रकटीकरण योजना तैयारी की गई है तथा आरपी के परिशिष्ट में सम्मिलित की गई है। इसमें सम्मिलित है–आरपी विशिष्ट सूचना पत्र का वितरण करना, शिकायत समिति हेतु सम्पर्क जानकारी उल्लिखित करना तथा क्रियान्वयन के प्रारंभ में सूचना सत्रों का संचालन करना और सर्वत्र क्रियान्वयन के दौरान नागरिक कार्य प्रगति के बारे में मार्ग किनारे के निवासियों को नई–नई सूचना देने के लिए परामर्शन बैठकों का संचालन करना। यह योजना क्रियान्वयन के दौरान पीआईयू सुरक्षा उपाय अधिकारी द्वारा विशिष्ट रूप से निर्मित तथा अद्यतन की जाएगी तथा बाह्य निगरानीकर्ता द्वारा इसकी निगरानी की जाएगी और इसका प्रतिवेदन दिया जाएगा।

व्यवसाय के अवसर

परामर्शी सेवाएं	सभी परामर्शदाताओं की नियुक्ति परामर्शनों के प्रयोग पर एडीबी के दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी। परियोजना प्रबन्धन तथा क्रियान्वयन का सरलीकरण करने के लिए परामर्शदात्री सेवाओं की आवश्यकता है। निर्माण पर्यवेक्षण परामर्शदाता (सीएससी) की नियुक्ति की जाएगी, जिसका निधीयन ऋण प्रक्रियाओं के अलावा किया जाएगा। परामर्शदात्री फर्में एक मानक गुणवत्ताः 80:20 का लागत अनुपात, के साथ गुणवत्ता–एवं लागत–आधारित चयन (क्यूसीबीएस) विधि का प्रयोग करते हुए कार्यव्यस्त रहेंगी।

अधिप्राप्ति	सभी परामर्शदाताओं की नियुक्ति गुणवत्ता–एवं लागत–आधारित चयन का प्रयोग करते हुए परामर्शदाताओं के प्रयोग पर एडीबी के दिशानिर्देशों के अनुरूप की जाएगी। सभी नागरिक कार्यों की अधिप्राप्ति राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धी बोलीदान के माध्यम से की जाएगी। उत्तर प्रदेश में समस्त कार्य अनुबन्धों के लिए ई–अधिप्राप्ति अनिवार्य है, तथा इसे इस परियोजना में इस्तेमाल किया जाएगा। वस्तुओं एवं कार्यों की अधिप्राप्ति निम्नलिखित एडीबी के अधिप्राप्ति दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी।

जिम्मेदार स्टाफ

जिम्मेदार एडीबी अधिकारी	रवि पेरी
जिम्मेदार एडीबी विभाग	दक्षिण एशिया विभाग
जिम्मेदार एडीबी प्रभाग	परिवहन और संचार प्रभाग, एसएआरडी
निष्पादक अभिकरण	**लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार** उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ भारत

समयसारणी

अवधारणा मंजूरी	13 अगस्त 2013
तथ्य अन्वेषण	06 जुलाई 2015 से 22 जुलाई 2015 तक
एमआरएम	23 नवम्बर 2015
अनुमोदन	14 अप्रैल 2016
अंतिम पुनरीक्षा मिशन	-
अंतिम पीडीएस अद्यतन	10 मार्च 2016

ऋण 3386–आईएनडी

मील के पत्थर

अनुमोदन	हस्ताक्षर की तिथि	प्रभाविता तिथि	अनुमोदन समापन		
			मूल	संशोधित	वास्तविक
14 अप्रैल 2016	-	-	30 सितम्बर 2021	-	-

वित्तपोषण योजना		ऋण उपयोगिता			
	कुल (राशि यूएस डॉलर मिलियन में)	तिथि	एडीबी	अन्य	शुद्ध प्रतिशत
परियोजना लागत	428.00	संचयी संविदा पुरस्कार			
एडीबी	300.00	14 अप्रैल 2016	0.00	0.00	0%
प्रतिपक्ष	128.00	संचयी संवितरण			
सहवित्तपोषण	0.00	14 अप्रैल 2016	0.00	0.00	0%

परियोजना डेटा शीट्स (पीडीएस) में परियोजना अथवा कार्यक्रम पर संक्षिप्त जानकारी दी गई हैः क्योंकि पीडीएस प्रगति–में–कार्य होता है, इसके आरंभिक पाठ में कुछ जानकारी सम्मिलित नहीं होना संभव है, परंतु यह उपलब्ध होते ही जोड़ दी जाएगी। प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में जानकारी अनंतिम एवं संकेतात्मक है।

एशियाई विकास बैंक इस परियोजना डेटा शीट (पीडीएस) में दी गई जानकारी इसके उपयोगकर्त्ताओं के लिए, किसी भी प्रकार के आश्वासन रहित संसाधन मात्र के रूप में उपलब्ध कराता है। यद्यपि एशियाई विकास बैंक उच्च गुणवत्ता की विषयवस्तु उपलब्ध कराने का प्रयास करता है, तदपि जानकारी विपण्यता, विशेष प्रयोजन हेतु उपयुक्तता और अनतिक्रमण की सीमांकन वारंटियों सहित किसी भी प्रकार की वारंटी, अभिव्यक्त अथवा अभिप्रेत, के बिना "जैसी है" आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। एशियाई विकास बैंक ऐसी जानकारी की सटीकता अथवा पूर्णता के संबंध में विनिर्दिष्ट रूप से कोई वारंटी अथवा अभिवेदन प्रस्तुत नहीं करता है।